आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 25.12.2024 समय : 0705

<><><><><><><>

1. पूरे देश के साथ द्वीपसमूह में भी आज क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है।
2. इस अवसर पर उप–राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने द्वीपवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व समस्त द्वीपवासियों के जीवन में प्रसन्नता लाए।
3. ज़िला प्रशासन द्वारा नागरिक–केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ाने के पहल के तहत ई–जिला सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन भुगतान सेवा शुरू की गई है।
4. सांसद बिष्णु पद रे ने कल डिगलीपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना–दो के अंतर्गत ग्रामीण सड़क की आधारशिला रखी।
5. अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, दो हजार सोलह का पालन करने का अनुरोध किया है।

<><><><><><><>

पूरे देश के साथ द्वीपसमूह में भी आज क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उप–राज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी के जोशी ने द्वीपवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यीशु मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस हमें एक करूणाशील समाज बनाने की दिशा में उनकी शिक्षाओं का स्मरण करने का अवसर प्रदान करता है। यह पवित्र उत्सव सम्पूर्ण मानवता के उज्जवल भविष्य हेतु साथ मिलकर कार्य करने की हमारी प्रतिबद्धता का भी नवीनीकरण करता है। उन्होंने कामना कि की यह पर्व समस्त द्वीपवासियों के जीवन में प्रसन्नता लाए और हमारा यह द्वीपसमूह शांति, समृद्धि एवं विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहे। पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा ने द्वीपवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन परिवार और मित्रों के साथ खुशियां मनाने का दिन है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार हमें सद्भावना, भाईचारा और क्षमा की भावना को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विशाल जॉली ने द्वीपवासियों को अपने संदेश में कहा कि यह पर्व द्वीपवासियों के जीवन में प्यार, शांति और एकता लाएगा।

इस अवसर पर ऑटों के अध्यक्ष एम. विनोद ने सभी द्वीपवासियों एवं पर्यटकों को क्रिसमस की हार्दिक बधाई दी है। सी पी आई एम के सचिव डी. अय्यप्पन ने क्रिसमस के इस पावन अवसर पर पूरे द्वीपवासियों को प्रभु यीशु मसीह के दिखाए गए मार्गों पर चल कर एक बेहतर समाज का निर्माण करने की शुभकामनाएं दी है।

<><><><><><><>

जिला प्रशासन द्वारा सुशासन सप्ताह मनाए जाने के तहत "प्रशासन गांव की ओर" कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिक–केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में, ई–जिला सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन भुगतान सेवा शुरू की गई है। कल मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में यह सेवा

शुरू की गई। यह ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का एकीकरण आम जनता और शासन के बीच के अंतर को और कम करेगा और शासन को हर नागरिक के दरवाजे तक पहुंचाएगा। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली नागरिकों के लिए कई भुगतान विकल्प प्रदान करती है। यू. पी. आई. विकल्प के तहत, नागरिक क्यू. आर. कोड के माध्यम से भुगतान करने के लिए किसी भी यू. पी. आई. ऐप का उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधा निश्चित रूप से भुगतान के लिए सामान्य सेवा केन्द्र या जिला कार्यालय जाने की आवश्यकता को समाप्त करके जनता के लिए प्रक्रिया को आसान बनाएगी, जिससे सेवा वास्तव में ऑनलाइन हो जाएगी।

<><><><><><><>

भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की पहल के तहत दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन द्वारा टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में "प्रशासन गांव की ओर" पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट विनायक चमाड़िया ने की। इस अवसर पर पूर्व एडीएम राम चंद्र और पूर्व सहायक आयुक्त सोम नायडू भी उपस्थित थे। इस अवसर पर अभियान के सफल कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई, जिसमें अभियान के उद्देश्यों, प्रगति और प्रमुख पहलों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। सत्र के दौरान जमीनी स्तर तक पहुंच को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रयासों के महत्व पर जोर दिया गया। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए मंच प्रदान किया गया, जिससे "प्रशासन गांव की ओर" के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग को बढ़ावा मिला। कार्यशाला में पंचायती राज संस्था के सदस्यों, आम जनता और श्री विजयपुरम तहसील के अधिकारियों ने भाग लिया।

<><><><><><><>

सांसद बिष्णु पद रे ने मध्योत्तर अंडमान के अपने चार दिवसीय दौरे के दौरान कल डिगलीपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना–दो के अंतर्गत ग्रामीण सड़क की आधारशिला रखी। इस अवसर पर अपने संबोधन मे उन्होंने लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन सड़कों के बन जाने से क्षेत्र में सड़क संपर्क में सुधार आएगा, जिससे निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच आसान हो जाएगी। वे आज मायाबंदर, किशोरीनगर और डिगलीपुर में दो सड़कों की आधारशिला रखेंगे। सांसद कल रंगत में तीन और मायाबंदर में दो सड़कों तथा सत्ताईस दिसंबर को कदमतला में चार ग्रामीण सड़कों की आधारशिला रखेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से बाईस करोड़ रुपये की लागत से कुल बत्तीस किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का सुधार कार्य किया जाएगा।

<><><><><><><>

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आम जनता और औद्योगिक हितधारकों से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, दो हजार सोलह के अनुसार घरेलू और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कचरे का प्रबंधन और निपटान करने का अनुरोध किया है। निवासियों से कचरे को अलग करने और उचित प्रसंस्करण और निपटान के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों को सौंपने का अनुरोध किया गया है। सभी औद्योगिक इकाइयों को अपशिष्ट उत्पादन और निपटान के लिए प्रदूषण नियंत्रण समिति से आवश्यक सहमति प्राप्त करने सहित पर्यावरण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। विषाक्त अपशिष्टों का निपटान अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से किया जाना चाहिए। उद्योगों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने और अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए भी जागरूक किया जाता है। लोगों से खुले में कूड़ा–कचरा न फेंकने और कचरे को न जलाने को कहा गया है, क्योंकि इससे वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण हो सकता है। सिगरेट और

बीड़ी के उचित निपटान पर भी जोर दिया गया है। सिगरेट और बीड़ी के गैर–बायोडिग्रेडेबल घटकों और जहरीले रसायनों के कारण पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न होता है। अधिकारियों से सार्वजनिक क्षेत्रों और कार्यस्थलों में धूम्रपान को प्रतिबंधित करने और सिगरेट को फेंकने के लिए जुर्माना लगाने के लिए नगरपालिका उप–नियमों में प्रावधान शामिल करने का अनुरोध किया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कहा है कि स्वच्छ पर्यावरण और द्वीपसमूह की अनूठी जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन दिशानिर्देशों का पालन करना जरूरी है। इसके अलावा समिति ने कहा है कि कचरे को कम करके, उसका पुनः इस्तेमाल करके एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य के निर्माण में योगदान दे सकते हैं।

<><><><><><><>

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आम जनता और औद्योगिक हितधारकों से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, दो हजार सोलह के अनुसार घरेलू और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कचरे का प्रबंधन और निपटान करने का अनुरोध किया है। निवासियों से कचरे को अलग करने और उचित प्रसंस्करण और निपटान के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों को सौंपने का अनुरोध किया गया है। सभी औद्योगिक इकाइयों को अपशिष्ट उत्पादन और निपटान के लिए प्रदूषण नियंत्रण समिति से आवश्यक सहमति प्राप्त करने सहित पर्यावरण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। विषाक्त अपशिष्टों का निपटान अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से किया जाना चाहिए। उद्योगों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने और अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए भी जागरूक किया जाता है। लोगों से खुले में कूड़ा–कचरा न फेंकने और कचरे को न जलाने को कहा गया है, क्योंकि इससे वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण हो सकता है। सिगरेट और बीड़ी के उचित निपटान पर भी जोर दिया गया है। सिगरेट और बीड़ी के गैर–बायोडिग्रेडेबल घटकों और जहरीले रसायनों के कारण पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न होता है। अधिकारियों से सार्वजनिक क्षेत्रों और कार्यस्थलों में धूम्रपान को प्रतिबंधित करने और सिगरेट को फेंकने के लिए जुर्माना लगाने के लिए नगरपालिका उप–नियमों में प्रावधान शामिल करने का अनुरोध किया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कहा है कि स्वच्छ पर्यावरण और द्वीपसमूह की अनूठी जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन दिशानिर्देशों का पालन करना जरूरी है। इसके अलावा समिति ने कहा है कि कचरे को कम करके, उसका पुनः इस्तेमाल करके एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य के निर्माण में योगदान दे सकते हैं।

<><><><><><><>